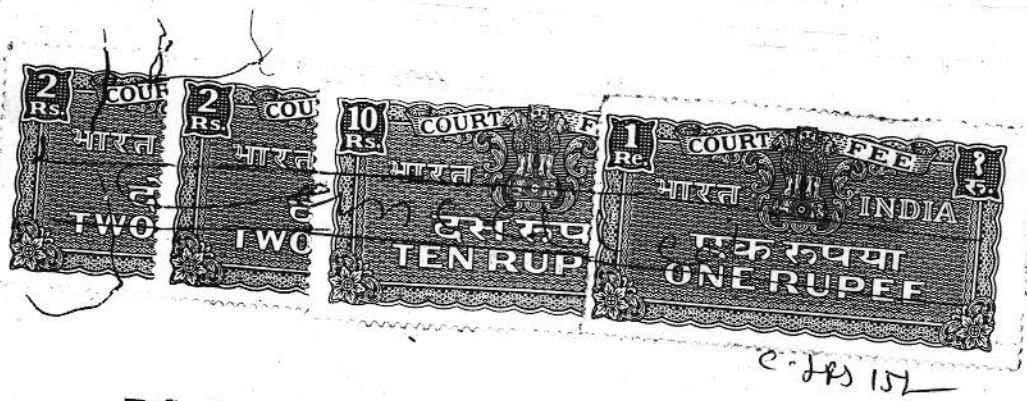

न्यायालय : राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश, ग्वालियर.

R 207 - III/09

प्रकरण क्रमांक /2009 निगरानी.

कारेलाल तनय मोहन गुडा, निवासी चौपरा तहसील व जिला दमोह (मध्य प्रदेश)

विरुद्ध -- -- आवेदक

श्रीमती शकुन्तला वेवा बालकिशन साकिन चौपरा (ग्राम चौपरा) तहसील व जिला दमोह (मध्य प्रदेश)

-- -- अनावेदक

निगरानी आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०भू-राजस्व संहिता 1959 विरुद्ध पारित आदेश दिनांक 22-6-04 न्यायालयअपर आयुक्त संभाग सागर के प्रकरण क्रमांक 121/01-02/अपील ।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 207–तीन/2009 जिला–दमोह

कारेलाल विरूद्ध श्रीमती शकुन्तला

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
08–8–2019	आवेदक अभिभाषक श्री एस0एल0 धाकड़ उपस्थित। अनावेदक अभिभाषक श्री ए0के0 अग्रवाल उपस्थित। 2/ अनावेदक अभिभाषक ने तर्क में बताया कि अपर आयुक्त सागर संभाग के जिस आदेश 22–6–2004 को इस निगरानी में चुनौती दी गई है उसको एक अन्य निगरानी प्रकरण कमांक अपील 920–तीन/2004 में चुनौती दी गई थी और उक्त अपील प्रकरण का दिनांक 22–10–2008 को मान्य किया जाकर प्रकरण का निराकरण हो चुका है। ऐसी स्थिति में यह कार्यवाही रेसज्यूडिकेटा के श्रेणी में आ जाती है। यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाये। प्रतिउत्तर में आवेदक अभिभाषक ने तर्क किया कि उस अपील और इस निगरानी में विषयवस्तु अलग–अलग है। अधिवक्ता द्वारा बिना इन्स्ट्रक्शन्स के प्रकरण समाप्त करा लिया। इस आधार पर आवेदक ने निगरानी प्रस्तुत की है। ऐसी स्थिति में निगरानी प्रचलन योग्य है और गुण–दोष पर निराकरण किया जाये। 3/ प्रकरण का अवलोकन किया। संबंधित प्रकरण कमांक अपील 920–तीन/2004 अभिलेखागार से मंगाकर अवलोकन किया, जिससे प्रकट होता है दोनों ही प्रकरणों की विषयवस्तु एक ही है जो कि नक्शे सुधार से संबंधित है। पूर्व में अधिवकता द्वारा प्रकरण समाप्त कराने के अग्राह पर ही प्रकरण समाप्त किया गया था। दूसरा आधार इसी वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में व्यवहार न्यायालय का निर्णय	

होना व उसका क्रियान्वयन भी होना रहा है। इस सम्बन्ध में विद्वान अभिभाषक द्वारा कोई अन्यथा अभिवचन नहीं है। चूंकि पूर्व में अपर आयुक्त के प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 22–6–2004 को चुनौती दी गई थी और उक्त अपील प्रकरण कमांक 920–तीन/2004 का दिनांक 22–10–2008 को निराकरण हो चुका है और इस निगरानी में अपर आयुक्त के उसी आदेश को चुनौती दी गई है। दर्शित परिस्थतियों में इस निगरानी पर पुनः विचारण का कोई औचित्य प्रतिपादित नहीं होता है। फलस्वरूप यह निगरानी प्रचलनशीलता के बिन्दु पर ही निरस्त की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापस भेजा जाये। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(जे0 के0 जैन)
सदस्य